उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु07
संख्या 748/XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांक 04 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में आपदा राहत कार्यों के लिए शिथिलीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (Work Order) पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य करा सकता है। राज्य में आई भीषण आपदा से हुयी क्षति के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त कार्यों के त्वरित पुनर्निर्माण हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के नियम–72 (4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उत्तरराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–39 में शिथिलीकरण करते हुए आपदा राहत कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम 3 पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य कराये जाने की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–39 में उक्त शिथिलीकरण केवल एक बार आपदा राहत कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए किया जा रहा है। उक्त शिथिलीकरण आपदा राहत–निधि से विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिए किये जा रहा है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या 748(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3–सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग उत्तराखण्ड।
4–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड।
7–स्टॉफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
8–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
9–समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–सलाहकार वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
11–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।